

श.वा.प 229/13  
 पाररती वा इ इगणे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22. 6. 15	<p>पञ्जावली वृत्त कोर्ट अमरगढ़ पर पेश          पाररती वरिष्ठ विद्या विद्यालय (बटवाडा) परस्ताव          प्राप्त।          तहसीलदार से प्राप्त परस्तावितः          बटवाडा रेलीकार विद्यालय है। तहसीलदार          को परस्तावित बटवाडा विद्यालय की धारणा          हेतु भिजवाई जावे।          आज यह निष्पत्ति सुलेन्यायालय में सुनाया          गया।          पञ्जावली पाररती वरिष्ठ विद्यालय नम्बर से          प्राप्त है।          (देवी सिंह)          पीठासीन अधिकारी          उपखण्ड अधिकारी एवं          पदेन सहायक कलक्टर माण्डल</p>	